रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032025-261837
CG-DL-E-21032025-261837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2025/फाल्गुन 30, 1946
No. 84] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2025/PHALGUNA 30, 1946

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम-मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना।

फा. सं. 5/11/2024-डीपी-डीएफएस.—1. सरकार द्वारा देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा लेनदेन की संख्या वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 18,737 करोड़ हो गई है।

2. यद्यपि विगत कुछेक वर्षों में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथापि, इसमें आगे और वृद्धि की संभावना है। अत: असेवित क्षेत्रों अथवा खंडों अथवा सेक्टरों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल भुगतान को अपनाए जाने को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

3. देश में डिजिटल भुगतान में और अधिक तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा "वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना" को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने वाले बैंकों, अन्य भुगतान प्रणाली प्रचालकों तथा ऐप सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इससे विशिष्ट रूप से छोटे व्यापारियों को लाभ होगा क्योंकि वे एकीकृत

भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इससे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आम जन को भी निर्बाध तथा 24 घंटे यूपीआई सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा।

4. इस योजना की व्यापक रूपरेखा निम्नानुसार है:-

4.1 कम-मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को 1,500 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा।

4.2 योजना के क्रियान्वयन की अवधि एक वर्ष, अर्थात् 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक होगी।

4.3 इस योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2000/- रुपए तक के यूपीआई (पी2एम) लेनदेन को शामिल किया गया है।

4.4 छोटे व्यापारियों की श्रेणी से संबंधित 2000 रुपए तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन 0.15% की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

(**टिप्पणी:** छोटे व्यापारी – जिनका विगत वित्तीय वर्ष के दौरान 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर हो, जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 दिसम्बर, 2017 की अपनी अधिसूचना संख्या आरबीआई/2017-18/105डीपीएसएस. सीओ. पीडी सं. 1633/02.14.003/2017-18 के माध्यम से निर्धारित किया है)।

4.5 वित्तीय सलाहकार (डीएफएस) और एनपीसीआई के परामर्श से वित्तीय सेवाएं विभाग समय-समय पर इस योजना के अंतर्गत निधि के उपयोग की समीक्षा कर सकता है और तदनुसार, यदि आवश्यक हो, तो योजना में परिवर्तन कर सकता है।

4.6 बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों की प्रतिपूर्ति तिमाही आधार पर निम्नलिखित सीमा तक की जाएगी:-

(क) योजना की सभी तिमाहियों के लिए अर्जनकर्ता (एक्वायरिंग) बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई दावा राशि का 80% बिना किसी शर्त के संवितरित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक तिमाही के लिए प्रस्तुत दावे के शेष 20% की प्रतिपूर्ति उप-खंड (1) तथा (2) में उल्लिखित शर्तों को पूरा किए जाने पर निर्भर करेगी;

i) स्वीकृत दावे का 10% केवल तब प्रदान किया जाएगा जब अर्जनकर्ता बैंक का तकनीकी अस्वीकार 0.75% से कम होगा;

ii) स्वीकृत दावे का शेष 10% केवल तब प्रदान किया जाएगा जब अर्जनकर्ता बैंक का प्रणाली अपटाईम 99.5% से अधिक होगा।

4.7 डीएफएस, एनपीसीआई के परामर्श से इकोसिस्टम के भागीदारों के बीच प्रोत्साहन साझा करने संबंधी इकोसिस्टम सहित योजना के कार्यान्वयन के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी करेगा।

4.8 यह योजना भारत में परिचालनरत बैंकों तथा भारत में किए गए लेनदेन के लिए ही प्रयोज्य होगी।

अभिजीत फुकन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2025

Subject: Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (Person to Merchant) for financial year 2024-25

F. No. 5/11/2024-DP-DFS.—1. The Government has been taking up various initiatives to promote digital payments in the country. Over the past few years, digital payment transactions have witnessed tremendous growth across the country with the number of transactions growing from 2,071 Crore in financial year 2017-18 to 18,737 Crore in financial year 2023-24.

2. Although there has been an unprecedented growth in digital payments over the past few years, there is potential for further growth. It is, therefore, important to promote the adoption of digital payments, targeting untapped areas or segments or sectors.

3. To give further boost to digital payments in the country, it has been decided by the Government to implement "Incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (Person to Merchant) for financial year 2024-25". The scheme will incentivize the banks, other payment system operators and app service providers promoting low-value BHIM-UPI transactions. It will specifically benefit the small merchants as they continue to avail Unified Payment Interface (UPI) services. The common citizens will be benefitted with seamless and round-the-clock UPI services without any additional cost.

4. The broad contours of the scheme are as follows-

4.1 The incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions (P2M) will be implemented at an estimated outlay of ₹ 1,500 Crore.

4.2 The period of implementation of the scheme will be one year from the 1st April, 2024 to 31st March, 2025.

4.3 Only the UPI (P2M) transactions upto ₹ 2,000 /- for Small Merchants are covered under the scheme.

4.4 Incentive at the rate of 0.15 percent per transaction will be provided for transactions upto ₹ 2,000 pertaining to category of small merchants.

(**Note:** Small Merchants- with turnover upto ₹ 20 lakh during the previous financial year, as defined by RBI in its notification number RBI/2017-18/105 DPSS.CO.PD No. 1633/02.14.003/2017-18 dated 07th December, 2017)

4.5 DFS, in consultation with the Financial Advisor (DFS) and NPCI, may review from time to time the utilisation of funds under the scheme and, accordingly, make changes in the scheme, if required.

4.6 Disbursement of claims submitted by banks will be made on a quarterly basis, to the following extent:

(a) For all the quarters of the scheme, 80 percent of the admitted claim amount by the acquiring banks will be disbursed without any conditions.

(b) The disbursement of the remaining 20 percent of the admitted claim amount for each quarter will be contingent upon fulfilment of the conditions in sub-clause (i) and (ii).

(i) 10 percent of the admitted claim will be provided only when the technical decline of the acquiring bank is less than 0.75 percent.

(ii) The remaining 10 percent of the admitted claim will be provided only when the system uptime of the acquiring bank will be greater than 99.5 percent.

4.7 DFS, in consultation with NPCI, will issue operational guidelines for implementation of the scheme, including the incentive sharing mechanism among the ecosystem partners.

4.8 The Scheme shall be applicable to the banks having operations in India and transactions done in India.

ABHIJIT PHUKON, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.03.21 22:39:31 +05'30'